

रिपोर्ट पटवारी.....अरखेडा...तहसील चाकसू जिला जयपुर

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य सही है। ग्राम अरखेडा  
की खाता संख्या 179, 278<sup>305</sup> में प्रार्थी का नाम सुजा देवी w/o हजारी  
दर्ज है, जबकि प्रार्थी के नाम सरकारी दस्तावेजों में सही नाम सुजा देवी w/o हजारी  
दर्ज है। खाते में दर्ज नाम प्रार्थी के नाम का विकृत रूप/अपभ्रष है। अतः ग्राम अरखेडा  
की खाता संख्या 179, 278<sup>305</sup> में दर्ज नाम सुजा देवी  
के बजाय सही इन्द्राज सुजा देवी दर्ज किया जाना उचित है।

Sham  
हस्ताक्षर पटवारी

06/6/23  
भू-अभिलेख निरीक्षक  
वीरेश बरखेडा

कार्यालय तहसीलदार चाकसू जिला जयपुर

भू-अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार ग्राम अरखेडा की  
जमाबन्दी की खाता संख्या 179, 278<sup>305</sup> में दर्ज नाम सुजा देवी w/o हजारी  
के बजाय सही नाम सुजा देवी w/o हजारी दर्ज किया जाना  
उचित है।

कैम्प/कैम्प/203/111

06/6/23

मीगान उपखण्ड अधिकारी चाकसू

06/6/23  
हस्ताक्षर तहसीलदार  
तहसीलदार चाकसू (जयपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर  
(कैम्प अरखेडा)

प्रकरण संख्या 93 / 2023

दिनांक 06/06/23

5803  
19/6/23

आदेश

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार अरनोद की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजों  
के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम अरखेडा  
की जमाबन्दी की खाता संख्या 179, 278<sup>305</sup> में दर्ज नाम/इन्द्राज सुजा देवी w/o हजारी  
के बजाय सही नाम/इन्द्राज सुजा देवी w/o हजारी दर्ज करने  
की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार अरनोद आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में  
अमल दरामद कर पालना करें।

06/6/23  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)